

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त..... मुकाम.....
 उदयपुर जिला कारागार मुकाम.....
 इलाहाबाद जिला कारागार उदयपुर बनाम.....
 नं. 25/2015 सन्.....
 रदमा.....

<p>रीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>11 7/22</p>	<p>पलायनी पेशा डी वकील कारी द्वारा प्रो पत्र अन्वयन आर्डर 23 नियम (17 (3) जांती. कामका गया काउ प्रस्तुत करने की स्थिति का लघु काउ पर विवेक की शक्ति का प्रयोग किया। प्रो - पत्र पर मुजु जफा। प्रो - पत्र के पश्चित 24 दिनां काय शायकसकत किया गया। जिक्र कारी का प्रो - पत्र स्वीकार किया जाय बावनि केने मे स्वीकार किया जाय वी 033 R। जांती के तहत काउ विद्वां करने की आउमनिदी जांती की काउ काउ काउ विद्वां करने पर जारी जमा पर काउ कारी शक्ति किया जाय तो पलायनी के मलशुका होकर पूर्व मलशुका के कर ले एड काउ नकार सादिले कर ले।</p>	